प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 20.01.2025

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा अपहरण कर हत्या कारित करने वाले 03 आरोपितो को आजीवन कारावास व कुल 47,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 31.10.2012 को वादी द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.इरफान पुत्र यामीन निवासी मौ0 पठानपुरा कस्बा व थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड, 2.इशरार पुत्र युसुफ निवासी मसनपुर बसेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर व 3.अनीस पुत्र नसीर निवासी भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के भाई का अपहरण कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 384/12 धारा 364 भादवि पंजीकृत किया गया। वादी के भाई का शव रूडकी (उत्तराखण्ड) में ग्राम लंढौरा के पास से बरामद हुआ। अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 302/394/201/120बी भादवि की वृद्धि की गयी। स्थानीय पुलिस द्वारा संम्पूर्ण विधिक कार्यवाही के उपरोक्त आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तो को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित किया गया था। पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा उक्त अभियोग की मा0 न्यायालय में प्रगति की लगातार समीक्षा की जा रही थी।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 20.01.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे-1 जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 384/2012 धारा 364/302/34/201/394 भादवि के आरोपीगण 1.इरफान पुत्र यामीन उपरोक्त, 2.इशरार पुत्र युसुफ उपरोक्त व 3.अनीस पुत्र नसीर उपरोक्त को आजीवन कारावास व कुल 47,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की कुल धनराशि मे से आधी धनराशि मृतक की पत्नी को प्रतिकर के रूप मे देय होगी।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम पताः-

1-इरफान पुत्र यामीन निवासी मौ0 पठानपुरा कस्बा व थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

2-इशरार पुत्र युसुफ निवासी मसनपुर बसेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

3.अनीस पुत्र नसीर निवासी भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हल्दौर **दिनांक 20-01-2025**

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त को एक अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त रिंकू पुत्र मूला सिंह निवासी ग्राम फडियापुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 22/2025 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

रिंकू पुत्र मूला सिंह निवासी ग्राम फडियापुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः-

एक अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2. का0 2459 राजीव कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर दिनांक – 20.01.2025

जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.01.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	कोतवाली शहर	शमशाद पुत्र अब्दुल खालिक निवासी ग्राम फरीदपुर भोगन थाना कोतवाली शहर बिजनौर।
2	कोतवाली शहर	श्रवण कुमार पुत्र स्व0 ओमप्रकाश निवासी ग्राम गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
3	शिवाला कलां	यशवन्त उर्फ कलवा पुत्र मोमराज सिंह निवासी ग्राम पहाडपुर थाना शिवाला कलां बिजनौर
4	नूरपुर	लोकेन्द्र सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम धमरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

थाना कोतवाली शहर

थाना शिवाला कलां

थाना नूरपुर